

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-३/निदे०-PoA(द्वितीय अनुपूरक)-०४-४४/२०२५ - ३०२

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव,

-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

पटना, दिनांक- २९.०१.२०२६

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में केन्द्र प्रायोजित योजना (५०:५०) के अन्तर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन राज्यांश मद में ₹३७,२१,०००/- (सैंतीस लाख एककीस हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

राज्य सरकार के द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- दिनांक- से वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ (समय-समय पर यथासंशोधित) के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (५०:५०) के अन्तर्गत राज्यांश में कुल ₹३७,२१,०००/- (सैंतीस लाख एककीस हजार रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में राज्यांश मद में ₹३७,२१,०००/- (सैंतीस लाख एककीस हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

२- राज्यांश के लिए राशि मांग सं०-४४ के योजना बजट मुख्य शीर्ष-"२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-२७७-शिक्षा- उपशीर्ष-०३२१-नागरिक सुरक्षा अधिनियम १९५५ के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम १९८९-विषय शीर्ष-०३२१.३३.०२-मुआवजा विपत्र कोड सं०-४४-२२२५०१२७७०३२१" पी०एफ० एम०एस० कोड ९४८८ के अंतर्गत विकलनीय होगा।

३-इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- दिनांक- में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। आवंटित राशि Single Nodal Agency (SNA) के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंचाई भवन के खाता संख्या-४०२९९३३८६६४ IFSC CODE-SBIN००००१५३ में संधारित किया जाएगा।

४- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-२५६१ दिनांक-१७.०४.१९९८ एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलाक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जयेगा।

५- व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक-३१.०३.२०२६ तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

६-इस स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वसिभाजन
(प्रियंका रानी)
निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-PoA(द्वितीय अनुपूरक)-04-44/2025 - 302 पटना,दिनांक- 29.01.2026
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास
विभाग, बिहार/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा,
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-8डी0/सांख्यिकी
शाखा/आई0 टी0 मैनेजर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-PoA(द्वितीय अनुपूरक)-04-44/2025 - 302 पटना,दिनांक- 29.01.2026
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-PoA(द्वितीय अनुपूरक)-04-44/2025 - 302 पटना,दिनांक- 29.01.2026
प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक।